प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.11.2025

स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच व औषधि विभाग गाजियाबाद संयुक्त कार्यवाही में द्वारा कैंसर की दवाईयों की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बॉयल KEYTRUDA , 04 इंजेक्शन ENHERTU 02, 10 GEFTIB, 01 BILYPSA, 200 TEB CACIT 500mg, 38 ZOLASTA 05ml, 50 NOVOTEX 100mg व 08 लाख 85 हजार रूपये नगद व घटना मे प्रयुक्त गाड़ी XUV 700 बरामद।

दिनाँक-22/11/2025 को स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व औषधि विभाग गाजियाबाद की संयुक्त टीम द्वारा कैंसर की दवाईयों की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 सदस्यों 1.विश्वास त्यागी, 2.आकाश शर्मा व 3. प्रिन्स त्यागी को बिना बिलों की कैंसर की बीमारी की दवाईयों के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। बरामद औषधियाँ एण्टी कैंसर / कैंसर की बीमारी में काम आती है एंव इनमें से कुछ औषधियां जिनको कोल्ड चेन यानी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जाता है को बिना कोल्ड चेन मेन्टेन किये उनको बैग व गत्ते के कॉर्टेन में भण्डारित पाया गया था, जिससे इन औषधियों की गुणवत्ता प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना थी।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों विश्वास त्यागी, आकाश शर्मा व प्रिन्स त्यागी ने पूछताछ पर बताया गया कि ये कैंसर की दवाईयों की कालाबाजारी व तस्करी करने का काम करते है, बरामद औषधियाँ एण्टी कैंसर / कैंसर की बीमारी में काम आती है एंव इनमें से कुछ औषधियाँ जिनको कोल्ड चेन यानी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखा जाता है को बिना कोल्ड चेन मेन्टेन किये उनको बैंग व गत्ते के कॉर्टेन में भण्डारित पाया गया, जिससे इन औषधियों की गुणवत्ता प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना है। इन औषधियों मे से एक KEYTRODA BATCH NO-Z007802 जिसकी कीमत रू0 2,16,500/- अंकित है एक इम्पॉर्टिड औषधि है, जिनके बारे मे पूछताछ करने पर विश्वास त्यागी द्वारा बताया गया कि इस औषधि को आकाश शर्मा उपरोक्त द्वारा मुझे दिया जाता है एंव जिस पर CGHS सप्लाई अंकित होता है। परन्तु हम दोनो लोगो द्वारा मिलकर कार्टन पर प्रिन्ट CGHS SUPPLY NOT FOR SALE को रघुनन्दन मैडिकल स्टोर रोहिणी दिल्ली जिसका संचालक मनोज राजपाल है से रू0 3000/- देकर मिटवा दिया जाता है जिससे ये लोग औषधि को मार्केट में MRP के अनुसार बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते है। गाडी से बरामद NOVOTEX BATCH NO-PBLF23A04-A जिस पर MRP रू0 7490 अंकित है वह 05/2025 में एक्सपायर हो चुकी है, गिरफ्तार अभियुक्तो से औषधियों के क्रय-विक्रय बिल के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर विश्वास त्यागी व आकाश शर्मा द्वारा उपरोक्त बरामद सभी औषधियों से सम्बन्धित ना तो कोई क्रय-विक्रय बिल और ना ही कोई औषधि लाईसेंस प्रस्तुत किया गया। विश्वास त्यागी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा KEYTRODA, ENHERTU, CACIT 500 एंव अन्य हाई एमआरपी एण्टी कैंसर औषधियों की बिना बिल की सप्लाई आकाश शर्मा द्वारा की जाती है। बरामद औषधियाँ विश्वास त्यागी द्वारा उसकी मुम्बई एंव दिल्ली की पार्टी श्राईव फार्मा, यतनेश फार्मा एंव ब्रदर्स फार्मा को बेची जानी थी। विश्वास त्यागी के द्वारा बताया गया कि वह इन औषधियों के फर्जी क्रय बिलों को गाजियाबाद एंव दिल्ली स्थित फर्म जैसे केयर हुड गाजियाबाद, आरबी इन्टर प्राईजेज चावडी बाजार एंव नोविटा फार्मा ओखला दिल्ली से प्राप्त करता है व इन औषधियों के फर्जी विक्रय बिल इसके द्वारा इसकी द मैडिसन हब फर्म के नाम से विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानो को काटता था एंव श्राईव फार्मा, यतनेश फार्मा एंव ब्रदर्स फार्मा के बेचकर भारी मुनाफा कमाता है।

औषधि निरीक्षक श्री आशुतोष मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विश्वास त्यागी पूर्व में भी नकली इंजेक्शन के कारोबार मे लिप्त था, जिसके द्वारा उसके राजनगर एक्सटेंशन स्थित द मेडिसन हब मैडिकल स्टोर पर पूर्व मे नकली औषधि के भण्डारण एंव क्रय-विक्रय पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विश्वास त्यागी के विरूद्ध औषधि एंव प्रसाधन अधिनियम

1940 की सुसंगत धाराओं मे माननीय न्यायालय गाजियाबाद मे वाद दायर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.विश्वास त्यागी पुत्र स्व0 नरेन्द्र त्यागी निवासी बी-607 ऑफिसर्स सिटी-2 राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

2.आकाश शर्मा पुत्र स्व0 मुरारीलाल शर्मा निवासी 204 भगवती आशियाना सैक्टर-04 बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा उम्र करीब 34 वर्ष

3.प्रिन्स त्यागी पुत्र लोकेश त्यागी निवासी ग्राम शहजादपुर थाना मुरादनगर गाजयाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण –

1.बॉयल KEYTRUDA – 01

2.इंजेक्शन ENHERTU 02- 04

3.GEFTIB- 10

4.BILYPSA -01

5.CACIT 500mg – 200 टेबलेट

6.ZOLASTA 05ml- 38

7.NOVOTEX 100mg- 50

8.नगद – 8 लाख 85 हजार रूपये

9.घटना मे प्रयुक्त गाड़ी XUV 700 रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP 14GM 6007

आपराधिक इतिहास-

1.गिरफ्तार अभियुक्त विश्वास त्यागी के विरूद्ध गाजियाबाद मे वर्ष 2023 में नकली इंजेक्शन के भण्डारण व क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में औषधि विभाग गाजियाबाद द्वारा माननीय न्यायालय में औषधि एंव प्रसाधन अधिनियम 1940 की सुसंगत धाराओं मे वाद दायर है।

2.अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.औषधि विभाग गाजियाबाद की टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा Real11 Fantasy Gaming Mobile app के पेमेन्ट गेटवे को हैक कर 1.01 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार, 25 लाख रुपये रिकवर।

साइबर अपराधियों द्वारा दिनांक 17.07.2024 से 18.11.2024 तक Real11 Fantasy Gaming Mobile app के प्लेटफार्म/पेमेन्ट गेटवे को हैक कर कुल 1,01,14,095/- रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में अमित यादव द्वारा दिनांक 27.11.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इस साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त उत्सव मण्डल पुत्र उदयशंकर मण्डल निवासी ग्रा0 वैद्यडांगा रसूलपुर थाना मैमारी जनपद पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल पता ग्रा0 कल्लूवाला थाना रेहड़ जिला बिजनौर मो0नं0 7001469552 को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उत्सव मण्डल ने पूछताछ में बताया गया कि वह कम्प्यूटर साइंस से बी-टेक की पढ़ाई सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा है, उसने Real11 Fantasy Gaming Mobile app के पेमेन्ट गेटवे को हैक कर सॉफ्टवेयर में API के माध्यम से Transaction Manipulation/Micro Seconds में Multiple Times Contest Cancel के द्वारा वॉलेट में जमा की गई धनराशि को कई गुना बढ़ा कर वॉलेट से धनराशि को लिंक बैंक खातों में Withdraw कर लेता था। वह Real11 Fantasy Gaming Mobile app के वॉलेट में 1 रुपये जमा करता था तथा वॉलेट में 2000 रुपये रिफ्लेक्ट करता था। इस प्रकार अभियुक्त गण ने रिफण्ड के रूप में साइबर धोखाधड़ी कर 20 बैंक खातों में कुल 1,01,14,095/- रुपये प्राप्त किये हैं।

मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में अभियुक्त गण 1. देशराज पुत्र पाटनदीन निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश 2.अभिषेक कुमार पुत्र मायाराम निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश 3. आकाश पुत्र देशराज निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश को साइबर अपराध में प्रयुक्त पासबुक, चेकबुक, एटीएम एवं मोबाइल फोन के साथ दिनांक 02.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. उत्सव मण्डल पुत्र उदयशंकर मण्डल निवासी ग्रा0 वैद्यडांगा रसूलपुर थाना मैमारी जनपद पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल हाल पता ग्रा0 कल्लूवाला थाना रेहड़ जिला बिजनौर उम्र 24 वर्ष, शिक्षा – बी-टेक।

बरामदगी का विवरण – 01 मोबाइल फोन, 25 लाख रुपये माननीय न्यायालय के माध्यम से रिकवर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 25.08.2025 को वादी श्री धन बहादुर पुत्र श्री नम बहादुर निवासी R 2/235 राजनगर गाजियाबाद के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा घर के अन्दर घुसकर वादी के साथ मारपीट कर घर के मालिक अचल सिंघल के मुख्य द्वार को खुलवाने का दबाब बनाने व दो मोबाइल ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना हाजा पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गयीं।

कार्यवाही का विवरण:- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टैलीजेन्स व मुखबिर के आधार पर दिनांक 22.11.2025 को महागुनपुरम सोसाईटी के पीछे सर्विस रोड पर चौकी औद्योगिक क्षेत्र चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक से अवन्तिका की तरफ से आता हुआ दिखायी दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने हेतु कहा गया। अभियुक्त द्वारा पीछे की तरफ बाइक घुमाकर पीछे की तरफ भागने लगा एवं पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देख हड़बड़ाहट में बाइक फिसल जाने के कारण गिर जाता है। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त के दाहिनें

पैर में गोली लगती है। अभियुक्त अमर पाल सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी शाहपुर कला थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो पूछने पर बताया कि दिनांक 25.08.2025 को मैं आपराधिक घटना कारित करने जा रहा था, किन्तु पुलिस की सतर्कता के कारण उक्त घटना को कारित नहीं कर पाया था। आज पुनः उसी प्रकार की घटना को कारित करने हेतु आया था। तो पुलिस बल की सतर्कता के कारण घटना कारित करने से पहले ही पकड़ गया।

अभियुक्त का नाम पता

अमर पाल सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी शाहपुर कला थाना हसनपुर जिला अमरोहा उम्र 24 वर्ष

बरामदगी-

- एक तंमचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस,
- एक खोखा कारतूस 315 बोर
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल

अपराध का विवरण

अभियुक्त अमरपाल सिंह पर कमि0 गाजियाबाद में लूट के 2 अभियोग पंजीकृत

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त विपिन द्वारा वादी की पत्नी को किसी वीडियो की धमकी देकर ब्लैकमैल कर प्रताडित करना जिससे वादी की पत्नी द्वारा परेशान होकर पैट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा लेना जिसकी दिनांक 12.11.2025 को जीटीबी अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 108 बी.एन.एस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 22.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन ठाकुर पुत्र राजू उर्फ जयेन्द्र निवासी मकान नं0-बी-56 विकास कुंज लोनी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम बलराम थाना गौरीयार जिला छतरपुर राज्य मध्य प्रदेश उम्र करीब 25 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने बताया कि मैं पहले वादी के घर किराये पर रहता था वहीं वादी की पत्नी से मेरी जान पहचान हो गई थी। करीब एक – डेढ वर्ष से हमारी आपस में बात-चीत हो रही थी

उसके बाद हमारी बात-चीत के बारे में वादी की पत्नी के परिवारीजन को जानकारी हो गयी थी जिससे मैंने उससे बात-चीत करना बंद कर दिया था जिसके चलते वादी की पत्नी ने पेट्रोल छिडककर आग लगा ली थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन ठाकुर पुत्र राजू उर्फ जयेन्द्र निवासी मकान नं0-बी-56 विकास कुंज लोनी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम बलराम थाना गौरीयार जिला छतरपुर राज्य मध्य प्रदेश उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 23.11.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त आशीष पुत्र स्व0 देवेन्द्र निवासी बंसल चौक गली नं0 03 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी के चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी मैंने लगभग 01 वर्ष पहले दिल्ली से चोरी की थी। मैं इसे पुलिस की नजरों से बचाकर इस्तेमाल कर रहा था और अब मैं इसे बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पुत्र स्व0 देवेन्द्र निवासी बंसल चौक गली नं0 03 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त स्कूटी चोरी के संबंध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, क्राइम ब्रांच दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त विपिन द्वारा वादी के पुत्र कुनाल को फोन करके अपने दुकान पर बुलाना तथा उसकी दुकान पर पूर्व से मौजूद राहुल,अमन व एक अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करना तथा अभियुक्त राहुल द्वारा वादी के पुत्र के पेट में गोली मार देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/109(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन वर्मा उर्फ विशू पुत्र मनोज वर्मा निवासी ए – 249 पाल विहार विकास कुंज, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 21.11.2025 को मैं अपनी कम्युनिकेशन की दुकान पर था। उसी समय राहुल ,अमन और एक अन्य व्यक्ति मेरी दुकान पर आये राहुल ने मुझसे फोन मांगा और कुनाल को फोन लगाकर बुला लिया और उसके बाद कुनाल और हमारी हाथापाई हुई और राहुल ने कुनाल के गोली मार दी और हम लोग मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन वर्मा उर्फ विशू पुत्र मनोज वर्मा निवासी ए – 249 पाल विहार विकास कुंज, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्तगण का नाम पता –

1.राहुल पुत्र विजय निवासी विकास कुन्ज थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.अमन प्रजापति पुत्र शीशपाल निवासी पूर्वी जवाहर नगर थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा लूट/डकैती व चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे जघन्य अपराध करने वाले 18 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे. रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री निमिष पाटिल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना इन्दिरापुरम पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 10 शातिर अभियुक्तों एवं थाना लिंकरोड पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 08 शातिर अभियुक्तों (कुल 18 अभियुक्तों) के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा। उक्त शातिर अपराधियों द्वारा भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने हेतु अपने सुख साधन के लिये लूट/डकैती व चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे जघन्य अपराध करने के आदतन अभ्यस्त अपराधी है। जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में भिन्न-भिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम व पता	थाना	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पहलवान(गैंग लीडर) पुत्र शुक्कन निवासी नट मढैचया लैवर चौक के पास गोल चक्कर थाना बीटा 2 जिला गौतमबुद्ध नगर हाल पता ग्राम लडना थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 24 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	8
2	मुकुल पुत्र नैपाल सिंह निवासी राहुल आटा चक्की के पास भीम नगर थाना रिब्लिक क्रोसिंग गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2
3	आकाश पुत्र राजा निवासी नट मडैया लेवर चौक के पास गौल चक्कर थाना बीटा 2 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 22 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2
4	सुनील पुत्र पूरन सिंह निवासी निलौनी साहपुर थाना रबुपुरा जिला गौतमबुद्धनगर हाल निवासी ग्राम गैदनपुर शेखपुर सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 27 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2
5	मनप्रीत पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम एच्छर मस्जिद वाली गली थाना बीटा 2 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2
6	परवेश पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम गैंदपुर शेखपुर थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 22 वर्ष ।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2
7	सचिन पुत्र तेज सिहं निवासी ग्राम खोदना कलाँ थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	2

8	नीतेश पुत्र भगवानदास निवासी गली नं0 8 भीम नगर थाना रिब्लिक क्रोसिंग जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	1
9	विशाल पुत्र नेमपाल निवासी ग्राम अमित गूर्जर के मकान में किराये पर हवीवपुर गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम रूपवास पंचगई जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 24 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	1
10	विवेक पुत्र धर्मवीर निवासी गाँव माइचा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।	इन्दिरापुरम	लूट/डकैती जैसे अपराधों से संबंधित डी – 389/2025	1
11.	हरीश पुत्र स्व0 ओमकार निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	5
12.	राज पुत्र धर्मेन्द्र निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	2
13.	अनुराग पुत्र नरेश निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1
14.	अभय पुत्र अशोक निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1
15.	करन चौधरी पुत्र हरीश चौधरी निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1
16.	प्रशान्त पुत्र हसंराज नागर निवासी ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1
17.	प्रिन्स पुत्र अजय नागर निवासी ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1
18.	अर्जुन चौधरी पुत्र हरीश चौधरी ग्राम चिरौडी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।	लिंकरोड	धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि जैसे अपराधों से संबंधित डी – 402/2025	1